संख्याः 653 /उन्तीस(2)/19–2(101पे0)/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल, 2019

विषय– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 184/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2019–20 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित बजट रू0 110.00 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार टी0ए0सी0 से परीक्षण/अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय, स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। जिस हेतु निर्माण कार्य की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

.....2

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम– 06–चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H19040130003, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 653 (1)/उन्तीस(2)/19–2(101पे0)/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।